[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2017

अधिसूचना
सं0 9/2017-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012- सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) तालिका में, क्रम सं0 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"39क	1206 00 90	तेल के निष्कर्षण और परिशोधन में काम आने वाले सभी पदार्थ	10 %	-	5",

(ख) सारणी के पश्चात, परन्तुक में, खंड (कड.) के बाद निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएंगा; अर्थात, : -

"(कछ) 1 अक्तूबर, 2017 को या उसके पश्चात उक्त सारणी के क्रम सं0 39क के सामने विनिर्दिष्ट माल" ।

2. यह अधिसूचना एक अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी ।

(फा.सं.354/203/2012-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 6/2017-सीमा शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017 सा.का.नि. 90(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा किया गया था ।